राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 77/2020

हिम्मत सिंह पुत्र सुमेर सिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदक

ब–ना–म

1. प्रताप सिंह पुत्र रामसिंह उम्र 78 वर्ष जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, खेतड़ी।

.......अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

निर्णय **दिनांक 23–03–2021**

यह आवेदन पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता सं. 477 खसरा नंबर 952 रकबा 2.21 है. का आवेदक खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 952 के पश्चिम में स्थित भूमि खाता सं. 198 खसरा नंबर 1558/946 रकबा 0.95 है. का खातेदार काश्तकार अनोवकद सं. 1 प्रताप सिंह पुत्र रामसिंह है। अनावेदक सं. 1 की भूमि के पश्चिम में एक आम रास्ता ग्रेवल सड़क स्थित है जो उत्तर से दक्षिण ग्राम लोयल से ग्राम नंगली सलेदीसिंह को जाती है। आवेदक के खेत खसरा नंबर 952 के पश्चिमी और स्थित रास्ते तक आवागमन के लिए खसरा नंबर 1558/946 की उत्तरी सीमा के सहारे–'सहारे आवागमन के लिए आवेदक को उक्त खसरा नंबर में से 10 फुट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है क्योंकि आवेदक के खेत में फसल काश्त करने के लिए ना तो ट्रेक्टर आदि साधन पहुंचते है तथा ना ही फसल उपज को काटने लाटने या बेचान हेतु ले जाने के लिए ऊंट गाड़ा या ट्रेक्टर पहुंच पाता है। इस रास्ते के अलावा आवेदक के पास अपने खेत में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। आवेदक आवेदन पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने को तत्पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी स्थित आवेदक की भूमि खसरा नंबर 952 के पश्चिमी दिशा की ओर अनावेदक सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1558/946 ग्राम चारावास में से नजरी नक्शे में वर्णितानुसार नंगली सलेदीसिंह से लोयल जाने वाले रास्ते तक खसरा नंबर 952 में आवागमन के लिए 10 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाने की कृपा करें तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा में तरमीम किया जाकर उक्त रकबा के लिए धारा 251(क) रा0का0अ0 के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर खातेदार अनावेदक सं. 1 को दिलाई जाने की कृपा करें। आवेदक विधिक प्रावधानों की पालना करने को तैयार है।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक सं. 1 सम्यक् तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2021/244 दिनांक 23.02.2021 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि :-

1. आवेदक हिम्मत सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह राजस्व ग्राम चारावास के खसरा नंबर 952 रकबा 2.21 है. भूमि का खातेदार काश्तकार है, उसको प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक नहीं है। यह प्रस्तावित रास्ता केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिये है।
2. प्रार्थी का अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रार्थी द्वारा ख.नं. 1558/946 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे आवागमन के लिये 10 फुट चौड़ा रास्ता चाहा है इसका क्षेत्रफल 0.0315 है. बनता है। यह मार्ग निकटतम/लघुतम है।
4. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 0.0315 है. बनता है। राजस्व ग्राम चारावास की वर्तमान डी.एल.सी. की दर 794070 रूपये प्रति हैक्टेयर है उसके हिसाब से 0.0315 है. की कीमत 25[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:38 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसील[illegible]लेख निरीक्षक वृत नंगली सलेदीसिंह का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट में

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

अत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने तथा साथ ही रास्ता प्रस्तावित करने का विरोधाभाषी विवरण होने के कारण न्यायालय के पत्रांकः राजस्व/2021/436 दिनांक 19.03.2021 से पुनः तहसीलदार, खेतड़ी से रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं के बिन्दु पर रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः राजस्व/2021/722 दिनांक 18.03.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार आवेदक को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। तहसीलदार, खेतड़ी के मुताबिक खसरा नंबर 952 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 1558/946 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 10 फुट चौड़ाई में 0.0315 है. बनता है। आवेदक के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 952 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। आवेदक का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, अतः आवेदक का आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 952 रकबा 2.21 है. में जाने के लिए अनावेदक सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1558/946 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 10 फुट चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 952 तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 0.0315 है. भूमि की कीमत 25014 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 50028/–रू. अक्षरे पचास हजार अठाईस रूपये आवेदक तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 1558/946 के खातेदार को प्रतिकार की रकम राशि रू.50028/– अक्षरे पचास हजार अठाईस रूपये अनावेदक को नियमानुसार अदा करें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 1558/946 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:38 IST
Reason: SelfAttested

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)